न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

महादेव दास .... प्रथम पक्ष

बनाम्

जागेश्वर रविदास द्वितीय पक्ष

वाद संख्या 09/2022 धारा 145 द०प्र०सं०

अनुसूची-14 फारम 10 562

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश सं0 क. ता0 .... से .... तक

जिला गिरिडीह .... सं0 .... सन् 20..........

केस का प्रकार ....

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
18/11/21	आवेदक/~~आवेदिका~~ महादेव दास .... पिता/~~पति~~ .. बंधन दास .... ग्राम असनासिंघा .... थाना बिरनी .... जिला गिरिडीह .... द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 145 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा लेबरा .... खाता 30 .... प्लॉट 506 .... रकवा 46डी0 मध्ये 15डी0 चौहद्दी : उ0- किशुन रविदास .... द0- सकूर मियाँ .... पू0- नदी .... प0- मौजा .... में भू-विवाद के कारण आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जाँच/मंतव्य अंचल अधिकारी बिरनी ....../थाना प्रभारी .... से माँगें। अभिलेख दिनांक 14/12/2021 .... को उपस्थापित करें। ह0/- 18/11 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया।	395 23/11/21

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
3/3/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष द्वारा द०प्र०सं० की धारा 145 के अंतर्गत द्वितीय पक्ष (जागेश्वर रविदास एवं अन्य) के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी बिरनी से प्रतिवेदन/मंतव्य की मांग की गई थी। अंचल अधिकारी बिरनी के पत्रांक 134 दिनांक 23/2/2022 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि के दखल-कब्जा को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 145 द०प्र०सं० के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों से दिनांक 22/3/22 को कागज-पत्र की मांग की जाती है। क्यों नहीं पक्ष विरोध के पक्ष में दखल-कब्जा संपुष्ट कर दिया जाये। विवादग्रस्त भूमि का विवरण मौजा- असनासिघा (बिरनी), थाना नं०-10, खाता नं०-30 प्लॉट नं०-506 रकबा-46 डी० मध्ये 15 डी०. चौहद्दी उत्तर- किशुन रविदास, दक्षिण- शुकर मियाँ, पूरब- नदी, पश्चिम- मेड़। 3/3/22 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया	

क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
22/3/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष अनु०। अभिलेख दिनांक 5/4/22 को रखें। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)	
5/4/22	उभय पक्ष अनु०। Wait for SR. To 19/4/22 5/4	
19/4/22	प्रथम पक्ष बकालतनामा दाखिल। द्वितीय पक्ष अनु०। अभिलेख दिनांक 12/7/22 को रखें। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)	
12/7/22	उभय पक्ष अनु०। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आपसी सुलह हो गया है तथा वाद वापस लेना चाहते हैं जिसे स्वीकृत किया जाता है। अतः यह कार्यवाई समाप्त की जाती है। 12/7	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.07.14 14:17:31 +05:30
Location: 192.168.1.7